

# Bihar Administrative Service Association

(Registration No-633/2003)

Shashank Shekhar Sinha  
President  
Mob. No.-9334118192



Sunil Kumar Tiwary  
General Secretary  
Mob. No.- 9431085120

Memo No. 16

Date 06/02/2023

सेवा में,

माननीय प्रधानमंत्री,  
भारत सरकार, नई दिल्ली

**विषय:** श्री के. के. पाठक (भा. प्र. से.) अपर मुख्य सचिव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग—सह—महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, बिहार द्वारा अखिल भारतीय सेवायें (अनुशासन एवं अपील) नियम 1969 एवं अन्य सुरांगत नियमों के विरुद्ध आचरण के आधार पर सेवा बर्खास्तगी/अनिवार्य सेवा निवृति सहित भारतीय दंड संहिता के सुरांगत धाराओं के आलोक में आवश्यक कार्रवाई किये जाने के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सादर पूर्वक कहना है कि बिहार के वरीय आई. ए.एस. श्री के. के. पाठक के गाली—गलौज करने का वायरल वीडियो ने इन दिनों बिहार राज्य सहित पुरे देश में उफान खड़ा कर दिया है। दो अलग—अलग वीडियो (इलेक्ट्रॉनिक प्रति संलग्न, अनु०-१) में श्री पाठक विभिन्न राज्य स्तरीय पदाधिकारियों के साथ सम्पूर्ण बिहार वासियों को भी गाली देते नजर आ रहे हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि श्री पाठक बिहार एवं बिहारियों के प्रति विद्वेष एवं दुर्भावना रखते हैं। घटना से आहत बिहार प्रशासनिक सेवा संघ के पदाधिकारीगण चरणबद्ध आंदोलन की राह पकड़ चुके हैं। इसकी शुरूआत राज्यभर के अधिकारियों द्वारा तीन मिनट का मौन रखकर श्री पाठक के मानसिक शांति की कामना के साथ किया गया। सचिवालय थाना, पटना में श्री पाठक के विरुद्ध एफ.आई.आर. के लिए आवेदन (छाया प्रति संलग्न, अनु०-२) और माननीय उच्च न्यायालय, पटना में याचिका (प्रमाण प्रति संलग्न) की अर्जी दाखिल की जा चुकी है। सुबे के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार इस प्रकरण की जाँच का जिम्मा मुख्य सचिव, बिहार को दे चुके हैं। माननीय उपमुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव ने भी स्पष्ट कह दिया है कि इस तरह की कार्यशैली बर्दाशत के योग्य नहीं है।

2. उल्लेखनीय है कि श्री पाठक वर्तमान में महानिदेशक, विपार्ड (बिहार इंसिट्यूट ऑफ पब्लिक एजग्मिनिरद्रेशन एंड लरल डेवलपमेंट) के साथ अपर मुख्य सचिव, मध्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार के प्रभार में हैं। राज्य स्तरीय पदाधिकारियों के साथ किए गये बैठक में उन्होंने डिप्टी कलेक्टर्स को भट्टी-भट्टी गालियां दी, जिसका विडियो वायरल हुआ। उक्त विडियो में बिहारियों को सड़क पर चलने का शऊर नहीं होने और दक्षिणी राज्यों की जनता को शऊर वाला बताया गया। करीब 36 सेकंड के विडियो में गालियों के साथ मां-बहनों के प्रति अशालीन भाषा को सुना जा सकता है। दूसरे विडियो में एक वरीय आई.ए.एस. का नाम लेने सहित गाली-ग्लौज स्पष्ट सुनाई दे रहा है। यहीं नहीं, श्री पाठक ने मुख्य सचिव, बिहार को बारा द्वारा दिए गये ज्ञापन को (जो एक प्रशिक्षु उपसमाहर्ता के प्रशिक्षण के दौरान मृत्योपरांत दिया गया था) व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर 'बासा' का निबंधन, क्षेत्राधिकार का उल्लंघन कर अपने अधीनस्थ के माध्यम से रद्द करवा दिया है, जबकि बासा का निबंधन बिहार सोसायटी रजिस्ट्रेशन नियमावली के तहत वर्ष 2003 में हुआ था। इतना ही नहीं, इन्होंने अपने अधीनस्थ के माध्यम से बिहार प्रशासनिक सेवा संघ के सभी क्रिया-कलापों पर रोक लगाने का तुगलकी आदेश पारित करवाते हुए संघ की संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई भी प्रारम्भ कर दी है। इससे यह स्पष्ट है कि इतने वरीय पदाधिकारी को अर्ध-न्यायिक कानूनी प्रक्रिया का मौलिक ज्ञान भी नहीं है।

3. श्री पाठक के अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के साथ किए गये दुर्घटवहार ने एक साथ कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि-

- I.- क्या सरकार को उनके इस कार्यशैली की जानकारी नहीं है?
- II.- बिहार के अधिकारीगण कितने दिनों से सा..., माँ..., बहन..., आदि की भट्टी गालियाँ
- III.- आम जनों के कथित व्यवहार पर राज्य स्तर पर आंदोलन का शंखनाद करने वाले इनके अधीनस्थ अधिकारी क्यों जलालत झोल सुन रहे हैं?
- IV.- क्या अन्य राज्यों में भी राज्य स्तरीय पदाधिकारियों संग ऐसा व्यवहार होता है?
- V.- क्या यह मान लिया जाए कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे इस अधिकारी की शिकायत 'बेअसर' हो जाएगी और शिकायतकर्ता उनकी आखों की किरकिरी बन जाएंगे।
- VI.- आखिर श्री पाठक को इस तरह के अमर्यादित व्यवहार और असंसदीय भाषा के प्रयोग का अधिकार किसने दिया है?
- VII.- क्या शिष्टतापूर्ण व्यवहार और नियमानुकूल कार्रवाई से अपने अधीनस्थों को नियन्त्रण करने में ये असमर्थ हो चुके हैं?

4. श्री पाठक वही पदाधिकारी हैं, जिन्होंने बिहार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्व छठ के अवसर पर वर्ष 2022 में निबंधन कार्यालय खुले रखने का फतवा जारी किया था। बाद में माननीय मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप करने पर उक्त आदेश वापस हुआ। "बिहार रजिस्ट्रेशन सर्विस एसोसिएशन" की 25 अक्टूबर 2022 की बैठक में लिए गए आठ निर्णय (छाया प्रति संलग्न)

भी इनकी कार्यशैली पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं, जिसकी प्रतिलिपि उन्होंने महामहिम राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग आयोग सहित 14 जगह भेजे थे। पहले प्रस्ताव में ही उल्लेखित है "अक्सर अपर मुख्य संघिव महोदय द्वारा पदाधिकारियों को माँ-बहन से संबंधित अमर्यादित तथा असंसदीय भाषा में गाली दी जाती है। कई अवसरों पर कहा गया है कि जब तक तुम सा.... चु... को माँ-बहन की गाली नहीं दी जाएगी, तुम लोग सुधरोगे नहीं। अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को उनकी बिहारी अस्तिता हेतु भी इनके द्वारा शर्मरार किया जाता है। तुम ... बिहारी, निककमे, दल्ले हो, निर्बुद्धि हो। तुगलोगों को भंगी जैसे रहने की आदत है, ऐसा कहकर बिहार के पदाधिकारियों के साथ पशुवत् व्यवहार किया जाता है। उनको बंदर, बंदरिया, भालू, कुत्ते, उल्लू के पद्धे, हरामखोर... आदि अमर्यादित नामों से संबोधित किया जाता है। यहाँ तक कि मानवोचित गरिमा को ताक पर रखकर महिला जिला अवर निबंधक पदाधिकारियों को 'बंदरिया' आदि भी कहा गया।"

5. क्या यह केंद्र एवं राज्य सरकार के संज्ञान में नहीं है? आखिर किस दंभ में आई.ए.एस. पदाधिकारी श्री पाठक उन्मत्त हैं कि उन्हें सरेआम गाली-ग्लौज करने से परहेज नहीं। वे अहंकार से अपने अहं की तुष्टि कर रहे या अपनी निजी असंतुष्टि को दूसरी जगह थोपते हैं? एक वरिष्ठ पदाधिकारी के नाते उन्हें यह भान जरूर होगा कि यह कृत्य भारतीय दंड संहिता की दृष्टि में अपराध है और आरोपों की पुष्टि पर आई.पी.सी. की धाराएं उनपर भी लागू होंगी। 'बिहारियों को सड़क पर चलने का शजर नहीं' कहने वाले श्री पाठक कभी सड़क पर चलना सिखाने के लिए कोई अभियान चलाये हैं? अपने विभागों में कितने नवोन्मेष की पहल और परिणाम का डाटा दे पाएंगे?

6. ज्ञातव्य हो कि CWJC रांख्या 6306/2000 में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक 06/09/2005 को श्री के के पाठक के द्वारा अपने अधीनस्थ के संबंध में दुर्भावना पूर्ण टिप्पणी के लिए निम्न रूप से आदेश (छाया प्रति सलंगन अनुलग्नक 3) पारित किया था— "However..... wherein certain derogatory words have been used against certain person. Mr Pathak regrets for the language used by him in the concerned file and submits that due to heavy rush of work in a hurry, he made these notings. He further submits that there was no deliberate intention on his part to defame any person. We accept the statements made by him before the court with the expectation that he will not give rise to such an occasion in future."। उक्त आदेश के अवलोकन एवं वर्तमान घटनाक्रम से यह स्पष्ट है कि उनके व्यवहार में अपेक्षित सुधार के जगह गुणात्मक गिरावट आया है जो किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं हो सकता है।

7. ऐसी सूचना भी प्राप्त हुई है कि प्रश्नगत मामले की जांच करायी जा रही है। परन्तु यह अपने मनमानी के आगे किसी भी वरीय पदाधिकारी के आदेश को नहीं मानते हैं। पाठक प्रकरण में पक्ष-विपक्ष सहित सम्पूर्ण बिहारवासियों के समक्ष भी एक उदाहरण प्रस्तुत करने की जरूरत है कि देश-विदेश में अपनी बुद्धि, कौशल और नेतृत्व क्षमता का लोहा

मनवाने वाले बिहारियों को अपनी अहं की तुष्टि के लिए कोई अमर्यादित गाली नहीं दे सके। क्या इनका यह आचरण अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन और अपील ) नियम 1969 एवं अन्य सुरांगत नियमों के अनुरूप हैं?

8. अतः बिहार प्रशासनिक सेवा संघ, बिहार, पटना आपसे करबद्ध प्रार्थना करते हुए न्याय की अपेक्षा में निम्नलिखित मांग करता है :-

(1) श्री सुनील कुमार तिवारी, गहाराचिव, बिहार प्रशासनिक सेवा संघ, बिहार पटना द्वारा सचिवालय थाना, पटना में दर्ज प्रथम सूचना आवेदन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आवश्यक जाँच प्रारम्भ की जाये तथा जाँचोपरात कानूनी कार्रवाई की जाए।

(2) श्री पाठक, आई.ए.एस. के पूर्व के उदाहरणों सहित वर्तमान में अपने अधीनश्वरों के साथ किये गये अमर्यादित आचरण, गाली—गलौज के आदतन अपराधी (Habitual Offender) को आधार बनाकर इनकी सेवा से अनिवार्य सेवनिवृति या बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाए।

(3) बिहार में कार्यरत महिला पदाधिकारीयों सहित सभी महिलाओं के प्रति इनके रवैये तथा अरावेदनशीलता के विरुद्ध सज्जान लेते हुए इनके विरुद्ध तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।

(4) भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार का श्री के. के. पाठक द्वारा लगातार हनन किया जा रहा है, अतः उनके विरुद्ध समुचित न्यायसंगत कार्रवाई की जाए।

अनुलग्नकः—यथोक्त।

विश्वासभाजन

  
(सुनील कुमार तिवारी)

महासचिव

  
(शशांक शेखर सिंहो)

अध्यक्ष